कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

शिकायत संख्या– 42/13–14 में पारित ओदश की प्रतिलिपि

दिनांक		अभ्युक्ति
29.11.13		

यह वाद प्रतिमा देवी एवं अन्य ग्राम+ पो0– राजापाकर दक्षिणी, थाना– राजापाकर, जिला– वैशाली के दिनांक 30.10.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है :–

ग्राम पंचायत राजापाकर दक्षिणी में वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो में बिना पेड़ लगाये पोस्ट ऑफिस से मुखिया, रोजगार सेवक द्वारा लाखों रूपये की निकासी फर्जी तरीके से कर लिया गया।

शिकायतकर्त्ताओं का आगे यह भी कहना है कि उठाया गया पैसा सरकारी खातें में वापस कराया जाये, क्योंकि पंचायत में पेड़ कहीं नहीं है।

शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संदर्भ में दिनांक 14.11.13 को मेरे द्वारा योजनाओं की स्थल जांच की गयी। प्रखण्ड कार्यालय राजापाकर में कार्यक्रम पदाधिकारी–सह– अंचल अधिकारी द्वारा मीटींग में व्यस्तता के कारण स्थल भ्रमण में असमर्थता जाहिर की गयी। पंचायत रोजगार सेवक पूर्व में सूचित किये जाने के बाबजूद मौके पर उपस्थित नहीं हो सकें। स्थल भ्रमण में स्थानीय मुखिया पति श्री काशी नाथ सिंह एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

मेरे द्वारा वृक्षारोपण की निम्नांकित योजनाओं का स्थल निरिक्षण किया गया।

योजना संख्या	लगाये गये पौधो की संख्या	जीवित पाये गये पौधों की संख्या
02/11–12	एक यूनिट	120
03/11–12	दो यूनिट	142
04/11–12	दो यूनिट	213
05/11–12	एक यूनिट	135
06/11–12	एक यूनिट	175
07/11–12	दो यूनिट	310
11/11–12	दो यूनिट	418
12/11–12	एक यूनिट	185
15/11–12	दो यूनिट	174
16/11–12	दो यूनिट	320
17/11–12	दो यूनिट	315

योजना सं0 02/ 11–12, 03/11–12, 04/11–12, 05/11–12 तथा 15/11–12 में पौधों की संख्या काफी कम पायी गयी। मुखिया पति ने बताया कि सार्वजनिक सड़क के किनारे पौधे लगे होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा तथा जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी योजनाएँ अभी खुली हुई है एवं कार्यरत है। पौधों की संख्या कम रहने के कारण ही वनपोषकों का भुगतान अभी बंद किया हुआ है। उन्होनें आश्वासन दिया कि पन्द्रह दिनों के अन्दर मृत प्राय पौधों की जगह नये पौधे लगा दिये जायेगें, ताकि योजनाओं में पौधे पर्याप्त संख्या में मौजूद रहे। क्रियान्यवन हो सकें। इन्हें बताया गया कि योजनाओं का पूर्ण क्रियान्यवन नहीं हुआ है उनका यह कार्य अवैधानिक है। मुखिया को निदेश दिया गया कि योजनाओं का अभिलेख अविलम्ब कार्यालय में प्रस्तुत करें।

दिनांक 21.11.13 को श्री अजीत कुमार, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत–राजापाकर दक्षिणी कार्यालय में उपस्थित हुए। उन्होंने योजनाओं से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये।

दिनांक 22.11.13 को मुखिया, राजापाकर दक्षिणी एवं पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि शिकायत–पत्र में अन्य आवेदकों में से एक आवेदिका प्रतिमा देवी जॉब कार्ड सं0 603 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत कोई काम नहीं किया गया है तथा इनके नाम पर कोई निकासी नहीं किया गया है।

दिनांक 22.11.13 को ही शिकायत–पत्र में शेष बचे पाँच आवेदक/ आवेदिकाओं ने कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर दो अलग–अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। उन प्रतिवेदनों में बताया गया है, कि उनलोगों के नाम का प्रयोग कर कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा वृक्षारोपण तथा अन्य योजनाओं में निकासी के संबंध में गलत आरोप लगाया गया है। उनका कहना था कि हमलोग कोई शिकायत नहीं किये है। हमलोगों ने अपनी मर्जी से मनरेगा में काम किया है तथा उसका मजदूरी का भुगतान डाकघर के माध्यम से प्राप्त किये है। मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक पर लगाया गया आरोप गलत है हमलोग कहीं कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं किये है।

योजनाओं के अभिलेख का अवलोकन किया गया योजनाओं में पिछले चार–पाँच महीने से वनपोषकों का कोई भुगतान नहीं किया गया था। योजनाएँ कार्यरत अवस्था में थी। योजनाएँ के सुचारू रूप से संरक्षित किया जा सकता था। अतः पंचायत रोजगार सेवक एवं मुखिया को निदेश दिया जाता है कि उचित ऊँचाई एवं उचित किस्म के पौधें सात दिनों के अन्दर लगवा दें, ताकि योजनाओं का सौ फीसदी पूर्ण क्रियान्यवन हो सके और मजदूरों की मजदूरी का भी सृजन किया जा सके। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, राजापाकर तथा पंचायत रोजगार सेवक करेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन पन्द्रह दिनों में प्रस्तुत करेंगे।

इन्ही निष्कर्ष के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर
29/XI/13
लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2338 / अभिकरण, दिनांक 29/11/13

प्रतिलिपिः मुखिया, ग्राम पंचायत, राजापाकर दक्षिण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत रोजगार सेवक, राजापाकर दक्षिणी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। कार्यक्रम पदाधिकारी, राजापाकर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

29/XI/13
लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2338 / अभिकरण, दिनांक 29/11/13

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2338 / अभिकरण, दिनांक 29/11/13

प्रतिलिपिः जिला पंदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2338 / अभिकरण, दिनांक 29/11/13

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

D/ bijendra/lokpal 1